

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

हानिमी भवन, नया रायपुर

क्र/एफ 13-5/2016/20-तीन ()

नया रायपुर, दिनांक 30/03/2016

प्रति,

कलेक्टर,

जिला— बलौदाबाजार, तला, नापुर, बस्तर, गोमती, विलाभपुर, गरियाबंद
जांजगीर—चांपा, जायपुर, कालिघाट, कोण्डगांव, कोरबा, कोरिया, मुंगेली
राष्ट्रगढ़, सूरजपुर, सरगुजा

विषय—59 मॉडल स्कूल का संचालन पीपीपी मोड पर कराया जाना।

—0—

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छ.ग. राज्य में शैक्षणिक रूप से पिछले 74 विकासखण्डों में सच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने हेतु राज्य माध्यमिक शिक्षा भित्ति के अंतर्गत मॉडल स्कूल दो रथापना की गई है। इसी 2015 से मॉडल स्कूल का हस्तांतरण पूर्ण रूप से राज्य शासन को कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के 59 मॉडल स्कूलों का संचालन कॉमर्सियल आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। इन 59 विद्यालयों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। इनका संचालन डीएची कॉलेज मैनेजिंग कमिटी, चित्रगुप्त रोड, पहाड़गंज, नई दिल्ली संरक्षा द्वारा किया जाएगा। संस्था से किया गया अनुबंध की छायाप्रति पृथक से प्रेषित की जा रही है।

संचालन के मुख्य बिन्दु—

(क) भवन—

- अप्रैल 2016 से सभी विद्यालयों का भवन, मैदान एवं सामग्री संबंधित संस्था को 30 वर्ष की अवधि के लिए उपयोग हेतु उनको Usage Rights (उपयोग का अधिकार) अंतर्गत उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु एक स्थानीय अनुबंध निष्पादित किया जाएगा, जिसका मूल्य रु. 100 प्रति शाला के हिसाब से होगा। प्रत्येक शाला हेतु पृथक अनुबंध होगा। इस हेतु तत्काल कार्यवाही करें। निर्देश जारी करें।
- विद्यालय एवं मैदान का ज्यागित्व छ.ग.शासन के पास ही रहेगा।
- सभी विद्यालय 'जहाँ है, जैसे है' के आधार पर उन्हें संचालन हेतु उपलब्ध होंगे।
- विद्यालय में लगने वाला वित्तिका फर्नीचर एवं सामग्री हेतु एकमुश्त अनुदान स्कूल शिक्षा विभाग एवं अनुबंधकर्ता के संयुक्त निरीक्षण पश्चात् जारी की जा सकेगी।
- विद्यालय भवन के मरम्मत एवं रखरखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता की रहेगी।
- अनुबंधित अवधि अमावस्या होने पर निजी संस्था द्वारा सभी अचल संपत्ति तथा शासकीय प्रशस्ति चल संपादित को छोड़कर उनके द्वारा लायी गई चल संपत्ति को ले जाने की अनुमति भीतिहस्तापन पश्चात् दी जा सकती है।
- संस्था भवन एवं अचल संपत्ति को उसी स्थिति में वापस करेगा जिस स्थिति में उसे दिया गया है।

(ख) अध्यापन -

- शाला का सम्पूर्ण संचालन उक्ता संस्था द्वारा किया जाएगा। इसमें अध्ययन-अध्यापन के अतिरिक्त प्रबंधकीय एवं गैर शैक्षकीय गतिविधियाँ भी उनके दायित्व में रहेगा।
- शाला का कक्षा ५वीं से १२वीं तक निजी संरथा के माध्यम से संचालन होगा।
- इन विद्यालयों में दिनांक ०१ अप्रैल २०१६ से शासन की ओर से कोई भी अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं होगे तो वही पदांकित होंगे।
- संरथा द्वारा दो पाठ्यार्थों में विभान्नसार कक्षा का संचालन किया जा सकता है।
- इन विद्यालयों में अध्यापन गर्य अंग्रेजी माध्यम सीरीज़ एलई पाठ्यक्रम आधारित होगी।
- किसी भी कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ५० होगी। प्रत्येक कक्षा में न्यूनतम ०२ सेक्षण होंगे।
- स्कूल शिक्षा विभाग की पूरी अनुमति से दो से ज्यादा सेक्षण भी किसी कक्षा के लिए खोला जा सकता है।
- विद्यालयों का संचालन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के सिद्धान्तों पर आधारित होगा।
- जिन विद्यालयों की मान्यता सीरीज़ एसई से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ली जा चुकी है वह अनुबंधकर्ता को हस्तांतरित हो जाएगी। नयी मान्यता तथा हस्तानान्तरण हेतु होने वाला व्याय अनुबंधकर्ता द्वारा वहाँ किया जाएगा।

(ग) वित्तीय प्रबंधन -

- इन ५९ विद्यालयों में वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए संस्था को राज्य शासन द्वारा आगामी आदेश पर्यन्त रु. ८२१६ प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रदाय किया जाएगा।
- संस्था खर्चों के साधन से इला संचालित करेगा, इस हेतु वह स्थानीय तौर शासकीय कोटे एवं RTE कोटे को छोड़कर अन्य विद्यार्थियों से ees प्राप्त कर सकता है।
- अनुबंधकर्ता द्वारा विद्यालयों का संचालन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की प्राप्ति के सिद्धान्तों पर किया जाएगा, इसके लिए ०५ सूचकांक लगाया जाएगा, जिसमें कमी पाये जाने पर अनुबंधकर्ता को होने वाले "उपतान में कटौती की जा सकेगी। सुलभ संदर्भ हेतु अनुबंध के नियम - १९ में विस्तृत रूप से जानकारी उपलब्ध है। यह सूचकांक होंगे-

 - १२वीं कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या।
 - निजी तथा शासकीय विद्यार्थियों के मध्य उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की तुलना।
 - झाप आउट अनुपात, एवं
 - कक्षा ६वीं से १२वीं तक विद्यार्थियों द्वारा सीरीज़ में प्राप्त ग्रेड।
 - कक्षा ६वीं से १२वीं तक विद्यार्थियों द्वारा सीरीज़ में प्राप्त ग्रेड।

(घ) दाखिला-

- इन विद्यालयों में दाखिला शासकीय कोटा एवं RTE कोटे को छोड़कर, संस्था द्वारा किया जाएगा।

2. कक्षा 6वीं अधिकारी तारीख की कक्षाओं में कोई भी नया वाखिला कलेक्टर द्वारा / जिला स्तर पर नहीं किया जाएगा।
3. अनुबंध के अनुसार संस्था ने विद्यालयों में रिक्त सीट पर खुली प्रवेश नियम से सीट भरने के लिए स्वतंत्र रहेगे। उसी कक्षाओं में कुल निर्धारित सीट का 08 प्रतिशत सीट प्रकार दो संवेदन मानते हुए प्रत्येक कक्षा में कुल स्वीकृत अधिकतम 90 सीट में से 7 सीट निःशुल्क शासकीय कोटा एवं 23 सीट शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वाखिला दे सकते हैं।
4. इनमें से 25 प्रतिशत ऐसे ही ग्रामीण जिलका नामांकन आरटीई नार्मस के आधार पर किया गया है, उनके पीछे की प्रत्यापूर्ति शासन द्वारा किया जाएगा एवं 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटे के विद्यार्थियों को राबंधित संस्था कक्षा पहली से बारहवीं तक पूर्णतः निःशुल्क अध्ययन-अध्यापन कराया जाएगा।
5. इस 8 प्रतिशत निःशुल्क शासकीय कोटा वाले विद्यार्थियों का चयन कलेक्टर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण अनिवार्य रूप से समिलित होंगे।
6. संस्था द्वारा कक्षा 1ली से 6वीं तक का नामांकन (वाखिला) इस वर्ष किया जा सकेगा। कक्षा 7वीं से 12वीं तक अध्यानसत् विद्यार्थियों के अतिरिक्त प्रत्येक कक्षा में सीट रिक्त होने पर निजी संस्था खुले प्रवेश नियम के तहत सीट भरने के लिए स्वतंत्र होगा, जिनका फीस निजी संस्था ले राखेगी। परंतु कक्षावार कुल स्वीकृत सीट संख्या से अधिक की वाखिला बिना विभागीय पूर्व अनुभति के नहीं किया जा सकेगा।
7. वर्तमान नामांकित विद्यार्थी जब तक 12वीं उत्तीर्ण नहीं होते हैं तबतक उन्हें पढ़ाने एवं उत्तीर्ण करने की जिम्मेदारी नियमी संस्था की होगी।

(च) अन्य निर्देश —

1. चूंकि शाला संस्था द्वारा संचालित किया जाएगा, अतः उराकी मान्यता, आदि हेतु शर्तों का पालन तथा आवश्यकतानुसार मान्यता हेतु अर्हता पूर्ण करने की जिम्मेदारी उक्त संस्था की रहेगी।
2. सभी विद्यालयों का संचालन शाला प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका अध्यक्ष संस्था द्वारा नामांकित व्यवित द्वारा, एवं जिसका उपायिता कलेक्टर द्वारा नामांकित जिले का राजपत्रित अधिकारी होगा। इस शाला प्रबंधन समिति में जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण अनिवार्यतः सदस्य होंगे।
3. प्रत्येक विद्यालय को "विद्यार्थियों का लैंगिक अपराध एक्ट 2012" का पालन करना अनिवार्य होगा।
4. संस्था द्वारा किसी भी प्रकार के अनुबंध की उल्लंघन एवं नियमों का उल्लंघन करने पर शासन द्वारा ग्रेडेड पैनलटी एवं टार्फिशन का भी प्रावधान रखा गया है, जिसका उल्लेख Concessionnaire Agreement में है।

sal

5. संस्था द्वारा अनुबंध समाप्ति के लिए नोटिस के बाद 01 सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष तक (जब तक दूसरी व्यवस्था न हो जाए) स्कूलों का रांचालन करना अनिवार्य होगा।
6. प्रभावशील राज्य सभा केन्द्र के लिए, नियम एवं नियंत्रण तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा नियांत्रित अन्य सभी नियम एवं परिनियम लागू होंगे।

संलग्न— 59 विद्यालयों की सूची।


30/3/16
सचिव


छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. नं./एफ 13-5/2016/20-तीन/]

प्रतिलिपि:-

नया रायपुर, दिनांक 30 / 03 / 2016

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, उ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा भाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, रायपुर दुर्ग, विलासपुर, वरतर एवं सरगुजा संभाग को सूचनार्थ।
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, उ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रबंध संचालक, राज्य माध्यमिक शिक्षा मिशन, उ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. मिशन संचालक, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, उ.ग. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी—बलौदाबाजार, बलशमपुर, वरतर, वेमेतरा, विलासपुर, गरिबाबंद, जांजीर-चांपा, जापुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरका, कोरिया, मुगेली, रायगढ़, सूरजपुर सरगुजा द्वा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सहायक आयुक्त, आदिग जाति कल्याण विभाग, जिला—बलौदाबाजार, बलशमपुर, वरतर, वेमेतरा, विलासपुर, गरिबाबंद, जांजीर-चांपा, जापुर, कबीरधाम, कोण्डागांव, कोरका, कोरिया, मुगेली, रायगढ़, सूरजपुर सरगुजा को सूचनार्थ।


30/3/16
सचिव

उ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

59 खोड़िल स्कूल

क्र.	जिला	सिवासखांड	मोहल स्कूल का नाम
1	गलीनामापार	ग. गढ़	खम्हरिया
2	बलोदावाजार	ब. बुधानी	झरछेत
3	बलीतानाजार	ब. बोदावाजार	सफरी
4	बलोदावाजार	ब. ब्रह्मा	टिक्कुलिया
5	बलरामपुर	ब. चंद्रहुर	गवरमाल
6	बलरामपुर	ब. दुफनांव	भ्रगतगढ़
7	बलरामपुर	ब. गंगुर	पत्तरात
8	बस्तर	ब. तर	करमशी
9	बस्तर	ब. यदल्हार	आडावाल
10	बस्तर	ब. कापाळ	सिधनपुर
11	बस्तर	ब. ता	युम्दपाल(छंदावाड़ा)
12	बस्तर	ब. लोगुडा	लम्दागुडा
13	बस्तर	ब. लसनाप	लालागुडा
14	बस्तर	ब. लगयेद	उल्नार
15	थेमेतरा	ब. लत्ता	जार्ता
16	विलासपुर	बिल्हा	गोढ़ी
17	विलासपुर	गोरेला	सरबहरा
18	विलासपुर	ब. टटा	गोबरीपाट
19	विलासपुर	ब. याई	कुम्हारी
20	विलासपुर	ब. तुरी	घेदपरसदा
21	विलासपुर	प. डाँडा	कुडकई
22	विलासपुर	त. बत्तपुर	देवरी खुद
23	गरियाबद	ह. गोंग	मुंगाडार
24	गरियाबद	म. नापुर	देहरगुडा
25	जापांगीर-चोपा	प. पगढ	कुत्राबोद
26	जशपुर	ब. तीवा	बरीचा
27	जशपुर	ब. रायेल	कासाबेल
28	जशपुर	प. थलगांव	पंडरी पानी
29	कवीरधाम	ब. तर्हा	झरमपुरा
30	कवीरधाम	प. डरिया	लंकुपा
31	कोङ्डागांव	ब. नड्डागांव	देव खरणाव
32	कोङ्डागांव	ब. कडी	बेलगांव
33	कोङ्डागांव	प. रसांव	बडे डोगर
34	कोङ्डागांव	ब. जोडापुर	विश्रामपुरा (होनावण्डी)
35	कोङ्डागांव	ब. जाकगेल	मरकागुड़ापारा
36	कोरवा	ब. रत्ता	खरमोरा
37	कोरवा	ब. रत्तला	बडमार
38	कोरवा	ब. टघोरा	जेन्जरा

39	कोरवा	फली	सैला
40	कोरवा	प. डॉ. लक्ष्मण	डोगरकरा (भांवर)
41	कोरिया	लडगवान	सकरिया
42	कोरिया	नदगढ़	कच्छीद
43	कोरिया	मात्रपुर	जनकपुर
44	मुगेली	मुली	बीरगाव म. सिवारी
45	मुगेली	मुत्रिया	जरेली (पंड्री)
46	मुगेली	तरमी	कोतरी
47	रायगढ़	लंगा	कुन्जारा
48	रायगढ़	छपजगाढ़	धरमजयगढ़
49	सरगुजा	मे पाट	नर्मदापुर
50	सरगुजा	ल बनपुर	केवडी
51	सरगुजा	बाली	भटको
52	सरगुजा	ल झो	कडकी
53	सरगुजा	संगापुर	प्रतापगढ़
54	सरगुजा	ओ बकापुर	परसा
55	सरगुजा	छ पपुर	सन्नीवर्सा
56	सूरजपुर	मेलाथान	जामडी
57	सूरजपुर	प्रतापपुर	कनकनार
58	सूरजपुर	ओडगी	कलामंजन
59	सूरजपुर	सूरजपुर	तिलिसवा

Digitized by srujanika@gmail.com

द्वारा सञ्चित
छतीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, रायगढ़